रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249057 CG-DL-E-29092023-249057

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6701

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 670]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

भारतीय वैश्विक परिषद

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 सितम्बर 2023

एफ. सं. आईसीडब्ल्यूए/551/7/2023.—विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या आईसीडब्ल्यूए/प्रशासन/551/24/2012 में 25 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित, भारतीय वैश्विक परिषद, भर्ती विनियम, 2017 के अंतर्गत, अनुसूची में, पदनाम लेखा अधिकारी के सामने:

(i) कॉलम-10 में:

"पदोन्नति द्वारा, अन्यथा, वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक की संगठित लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा". के स्थान पर

"महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय की संगठित लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति" द्वारा, पढ़ा जाए

(ii) कॉलम -11 में, हटाएँ:

"पदोन्नति द्वाराः

वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में लेखा सहायक और ग्रेड में छह साल की नियमित सेवा।

टिप्पणी: जहां अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके किनष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठ पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हों और अपने किनष्ठों के साथ अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो।

6150/2023 (1)

(iii) कॉलम-12 में:

"विभागीय पदोन्नति समिति (चयन या पृष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:

(i) महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद

- अध्यक्ष।

(ii) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक परिषद

- सदस्य

(iii) निदेशक, विदेश मंत्रालय

- सदस्य।"

"लागू नहीं" पढ़ा जाए

सौमेन बागची, उप महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./452/2023-24]

INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st September, 2023

- **F. No. ICWA/551/7/2023.**—In the Notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No.ICWA/Admn/551/24/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, on 25th April, 2017 regarding Indian Council of World Affairs, Recruitment Regulations, 2017, in the Schedule, against the name of post of Accounts Officer:
 - (i) In column-10, for

"By promotion, failing which, by transfer on deputation from Organized Accounting Service of Controller General of Accounts, Ministry of Finance",

read "Deputation from Organized Accounting Service of Controller General of Accounts, Ministry of Finance".

(ii) In Column-11, delete:

"By Promotion:

Accounts Assistant in Level 6 in the Pay Matrix with six years regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service."

(iii) In Column-12, for

"Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of:

(i) Director General, Indian Council of World Affairs

- Chairman.

(ii) Deputy Director General, Indian Council of World Affairs

Member

(iii) Director, Ministry of External Affairs

Member."

read "Not applicable."

SOUMEN BAGCHI, Dy. Director General [ADVT.-III/4/Exty./452/2023-24]